सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1615/JH/13/2023-ESDW **दिनांक: 21.04.2023**
24

श्री अमिताभ कौशल
सचिव,
राजस्व विभाग,
झारखण्ड सरकार,
परियोजना भवन,
धुर्वा, रांची झारखण्ड
झारखंड 834004
ई-मेल : dolrjh@gmail.com

श्री संदीप सिंह
उपायुक्त,
जिला-धनबाद,
समाहरणालय भवन,
प्रधान डाकघर के पास,,
धनबाद, झारखंड 826001
ई-मेल: dc-dha@nic.in

श्री संजीव कुमार,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
ज़िला-धनबाद,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
धनबाद, झारखंड 826001
ई-मेल: sp-dhanbad@jhpolice.gov.in

विषय: समाचार पत्रिका, जागरण फोकस, झारखण्ड में दिनांक 17.04.2023 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "धनबाद में आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं का कब्ज़ा, अंचल अधिकारियों की उदासीनता के आगे टेके घुटने" के सम्बन्ध में ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को समाचार पत्र मे प्रकाशित लेख **"धनबाद में आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं का कब्ज़ा, अंचल अधिकारियों की उदासीनता के आगे टेके घुटने"** के सम्बन्ध में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने इस मामलें का **स्वतः संज्ञान** लेते हुये भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **03 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु.